

प्रेषक,

अगर सिंह,

अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश, पोक्सो एक्ट

न्यायालय सं०-2 मथुरा।

सेवा में,

श्रीमान् महानिबन्धक महोदय,

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

द्वारा,

श्रीमान् जनपद न्यायाधीश महोदय,

मथुरा।

विषय- वर्ष 2020-21 की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन।

आदरणीय महोदय,

सादर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा अपनी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि 2020-21 का अवलोकन किया गया। वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में विरोधाभासी प्रविष्टि होने के कारण निम्नलिखित बिन्दुओं पर प्रार्थी माननीय प्रशासनिक न्यायामूर्ति महोदय के समक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर रहा है।

1- वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के प्रस्तर संख्या 1(f) में जहां यह प्रश्न अंकित है कि **"Whether judgment on facts and on law are on the whole sound, well reasoned and expressed in good language"** के उत्तर में सकारात्मक रूप से **"Yes"** अंकित किया गया है। साथ ही इस प्रस्तर में **Note** द्वारा अंकित किया गया है कि **"The following factors should also be indicated in filling up this column** परन्तु मुख्य बिन्दु में **"Yes"** अंकित करने के तत्पश्चात तीन बिन्दु 1(f)(i)- **Marshalling of facts**, 1 (f)(ii) **Appreciation of evidence and 1(f)(iii)- Application of law** के समक्ष **"Poor"** अंकित कर दिया गया है, जो इस कारण सम्भव नहीं है कि जब निर्णय को **sound and well reasoned** बताया गया है, तब उसकी अन्तरवस्तु को **"Poor"** अंकित नहीं किया जा सकता है क्योंकि अन्तर्निहित तीन बिन्दु मुख्य बिन्दु के अंश हैं। अतः यह प्रविष्टि विरोधाभासी है।

प्रार्थी को पूरे सेवा काल में कभी भी निर्णय या आदेश की गुणवत्ता को लेकर अर्धशासकीय पत्र इस सम्बन्ध में प्राप्त नहीं हुआ कि गुणवत्ता सही न हो। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अपने किसी भी निर्णय या आदेश में प्रार्थी के आदेश या निर्णय में प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गयी है। मथुरा के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रार्थी के आदेश व निर्णय

lw  
28/07/2021

अगले पृष्ठ पर

की डायस पर भरभूर प्रशंसा की जाती रही है। साथ ही किसी भी वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी द्वारा प्रार्थी के आदेश या निर्णय को लिखित या मौखिक रूप से खराब नहीं बताया गया है। साथ ही यह तथ्य उल्लेखनीय है कि किस पत्रावली में साक्ष्य का विश्लेषण इत्यादि सही से नहीं किया गया है, इसका कोई विवरण प्रार्थी को न तो मौखिक रूप से और न ही लिखित रूप में प्रदान किया गया है। इस कारण वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि का उपरोक्त प्रस्तर विरोधाभासी है।

अतः माननीय प्रशासनिक न्यायामूर्ति महोदय से यह सादर प्रार्थना है कि जिन उपरोक्त प्रविष्टि के समक्ष "Poor" अंकित कर दिया गया है, उसे उच्चकृत करने की कृपा करें।

2- ओवर ऑल एसेसमेन्ट में प्रार्थी को मात्र **Average** दिया गया है, जो इस कारण विरोधाभासी है कि वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि 2018-19 में प्रार्थी को **"Very Good"** मिला तथा वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि 2019-20 में प्रार्थी को पुनः **"Very Good"** मिला और जब इस सम्पूर्ण वर्ष में कोविड-19 महानारी के कारण न्यायालय का कार्य प्रभावित रहा तो पिछली दो प्रविष्टि के आकलन के अनुसार इस वर्ष **Average** दिया जाना उचित नहीं है। कोरोना काल में 01 अक्टूबर 2020 को प्रार्थी को सन्तान की प्राप्ति हुई। अतः कोरोना काल में प्रार्थी नवजात शिशु की देखभाल करते हुये, राजकीय सेवा में योगदान देता रहा। कोरोना काल में जितना मानवीय रूप से सम्भव हो सका प्रार्थी द्वारा कार्य निष्पादित किया गया। प्रार्थी को अपने पूरे सेवा काल में कभी भी प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं मिली। मात्र वर्ष 2010-11 में प्रार्थी को एवरेज मिला था। प्रार्थी निरंतर न्यायिक सेवा में पूर्ण मनोयोग से अपना योगदान देता रहा है।

अतः माननीय प्रशासनिक न्यायामूर्ति महोदय से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी के ओवर ऑल एसेसमेन्ट में **Average** प्रविष्टि को भी उच्चकृत करने की कृपा करें।

प्रार्थी माननीय महोदय का जीवन पर्यन्त आभारी रहेगा।

सादर।

भवदीय,

*Amar Singh*  
(अमर सिंह) 28/07/2021

अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश, पोक्सो एक्ट  
न्यायालय सं०-2 मथुरा।

दिनांक-28.07.2021